भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 483
दिनांक 06.02. 2024/17 माघ,1945 (शक) को उत्तर के लिए

आपराधिक मामले

483. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जघन्य अपराधों से संबंधित घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु 2 जनवरी, 2013 को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसरण में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए या उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा सूचित किये गये अपराधों पर सांख्यिकीय डेटा को संकलित करता है व उसे अपने प्रकाशन "क्राइम इन इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 से संबंधित है। वर्ष 2013 से 2022 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध से सम्बंधित दर्ज मामलों (सीआर) का शीर्षक-वार विवरण अनुलग्नक पर है।

(ख) से (घ) : भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2023 को केंद्र सरकार को 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 568 के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया गया था। रिट याचिका जघन्य अपराधों के खिलाफ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित थी।

भारत सरकार ने जघन्य प्रकृति के विशिष्ट मामलों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिक आदि से संबंधित सिविल मामलों, जो 05 से अधिक वर्षों से लंबित है, के त्वरित परीक्षण के लिए 2015-2020 के दौरान 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) की स्थापना की सिफारिश की थी। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने दिनांक 31.12.2023 तक 851 एफटीसी स्थापित किए हैं।

लोक सभा अता .सं .प्र .483 दिनांक 06.02.2024

आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 को लागू करने और विशेष रूप से यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पीओसीएसओ) अधिनियम के मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए, सरकार ने अगस्त 2019 में एक केंद्र प्रायोजित योजना तैयार की। इस योजना का उद्देश्य बलात्कार और पीओसीएसओ अधिनियम मामलों के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में विशेष पीओसीएसओ अदालतों सहित फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें (एफटीएससी) स्थापित करना है। यह योजना शुरू में एक वर्ष के लिए थी, जिसे आगे मार्च 2023 तक और फिर से 31.03.2026 तक निर्भया फंड से केंद्रीय हिस्से के रुप में 1207.24 करोड़ रुपये सहित 1952.3 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय से आगे बढ़ा दिया गया था।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों के प्रति अपराध की जांच और अभियोजन समेत कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारों कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं। तथापि, गृह मंत्रालय ने पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जो नीचे दिये गये हैं:

i. यौन अपराधों के प्रभावकारी निवारण के लिए दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 12 वर्ष से कम आयु की बालिकओं के बलात्कार के लिए मृत्यु दंड सहित अधिक कठोर दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करने हेतु दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ बलात्कार के मामलों में 2 महीनों के भीतर जांच पूरी किए जाने और आरोप पत्र दायर करने तथा विचारण को भी 2 महीनों के अंदर पूरा करने का अधिदेश दिया गया है।

ii. "आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली" में सभी आपात स्थितियों के लिए पूरे भारत में, एकल, अंतर्राष्ट्रीय मान्य नम्बर (112) पर आधारित प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें कंप्यूटर की सहायता से क्षेत्रीय संसाधनों को संकट के स्थान पर पहुंचाया जाता है।

iii. स्मार्ट पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, पहले चरण में 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुम्बई) में सुरक्षित शहर परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

iv. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षमता निर्माण जैसे कि साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, जूनियर साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों के कार्मिकों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए "महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) स्कीम" के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है।

v. गृह मंत्रालय ने विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पूरे देश में यौन अपराधियों की जांच करने और उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए 20 सितम्बर, 2018 को "यौन अपराधियों संबंधी राष्ट्रीय डाटाबेस" (एनडीएसओ) शुरु किया है।

vi. गृह मंत्रालय ने दंड विधि अधिनियम (संशोधन), 2018 के अनुसार यौन हमले से संबंधित मामलों की समयबद्ध जांच की निगरानी करने और उसे ट्रैक करने के कार्य को सुगम बनाने के 19 फरवरी, 2019 को पुलिस हेतु "यौन अपराध जांच ट्रैकिंग प्रणाली" नामक एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक टूल लॉन्च किया है।

vii. जांच में सुधार करने के लिए, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण की इकाइयों को सशक्त बनाने हेतु कदम उठाए हैं। इसमें केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में डीएनए विश्लेषण की एक अत्याधुनिक इकाई स्थापित करना शामिल है। गृह मंत्रालय ने कमी के विश्लेषण और मांग के मूल्यांकन के बाद राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण इकाइयों की स्थापना और उन्नयन को भी मंजूरी प्रदान की है।

viii. गृह मंत्रालय ने यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण और यौन हमले संबंधी साक्ष्य संग्रहण किट की मानक संरचना के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। जनशक्ति में पर्याप्त क्षमता के सृजन की सुविधा प्रदान करने के लिए, जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों तथा चिकित्सा अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम शुरु किए गए हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने प्रशिक्षण के भाग के तौर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ओरिएंटेशन किट के रुप में यौन हमला साक्ष्य संग्रहण की 18,020 किटें वितरित की हैं।

ix. गृह मंत्रालय ने पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्कों और देश के सभी जिलों में मानव तस्करी-रोधी यूनिटों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए दो परियोजनाएं भी मंजूर की हैं।

x. उपर्युक्त उपायों के अलावा, गृह मंत्रालय ने महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने हेतु समय-समय पर एडवाइजरी जारी की हैं, जो www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे देश में वन स्टॉप सेंटर (ओएसी) स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक दोनों स्थलों में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना है तथा साथ ही, महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा से निपटने के लिए पुलिस, चिकित्सा, कानूनी सहायता और परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता सहित कई सेवाओं की तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सुलभता प्रदान करना है।

देशभर में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 'रेफरल सेवा' के माध्यम से तत्काल और 24 घंटे आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता उपलब्ध करने के उद्देश्य से "महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण (डब्ल्यूएचएल) स्कीम" 1 अप्रैल, 2015 से कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत, सहायता और जानकारी मांगने वाली महिलाओं को शॉर्ट कोड 181 के माध्यम से 24 घंटे की टोल-फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान की जाती है। 35 राज्यों/संघ क्षेत्रों में महिला हेल्पलाइन चल रही है और इसे आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112 के साथ एकीकृत किया गया है।

****

लोक सभा अता .सं .प्र .483 दिनांक 06.02.2024
अनुलग्नक

महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध के तहत दर्ज किए गए मामलों(सीआर),

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	सीआर 2013	सीआर2014	सीआर 2015	सीआर 2016	सीआर 2017	सीआर 2018	सीआर2019	सीआर2020	सीआर2021	सीआर2022
1	बलात्कार/सामूहिकबलात्कार के साथ हत्या	-	-	-	-	223	294	284	219	284	248
2	दहेज हत्या	8083	8455	7634	7621	7466	7167	7141	6966	6753	6450
3	महिलाओं कोआत्महत्या के लिए उकसाना	0	3734	4060	4466	5282	5037	5008	5040	5292	4963
4	गर्भपात	0	48	66	587	266	213	238	239	196	236
5	तेजाब से हमला	0	137	140	160	148	131	150	105	102	124
6	तेजाब से हमलेका प्रयास	0	40	30	46	35	37	46	33	48	38
7	पति या उसकेरिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	118866	122877	113403	110378	104551	103272	124934	111549	136234	140019
8	महिलाओं काव्यपहरण और अपहरण	51912	57324	59283	64519	66333	72709	72681	62300	75369	85310
9	मानव तस्करी	0	456	713	659	662	854	960	646	914	781
10	नाबालिगलड़कियों की बिक्री	-	-	-	-	80	40	20	12	12	8
11	नाबालिगलड़कियों की खरीद-फरोख्त	-	-	-	-	4	8	8	1	2	3
12	बलात्कार	33707	36735	34651	38947	32559	33356	32032	28046	31677	31516
13	बलात्कार करनेका प्रयास	0	4234	4437	5729	4154	4097	3941	3741	3800	3288
14	महिलाओं केसम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन पर हमला	70739	82235	82422	84746	86001	89097	88259	85392	89200	83344
15	महिलाओं कीशालीनता का अपमान	12589	9735	8685	7305	7451	6992	6937	7065	7788	8972
A	महिलाओं केविरुद्ध कुल आईपीसी अपराध	295896	326115	315632	325652	315215	323304	342639	311354	357671	365300
16	दहेज प्रतिषेधअधिनियम	10709	10050	9894	9683	10189	12826	13307	10366	13568	13479
17	अनैतिकदुर्व्यापार (रोकथाम) अधिनियम	2579	2070	2424	2214	1536	1459	1179	868	1071	946
18	घरेलू हिंसा सेमहिला संरक्षण अधिनियम	0	426	461	437	616	579	553	446	507	468
19	साइबरअपराध/सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम	-	749	792	930	600	1244	1635	2334	2597	2940
20	लैंगिक अपराधोंसे बालकों का संरक्षण अधिनियम	-	-	-	-	31668	38802	45989	46123	52836	62095
21	स्त्री अशिष्टरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम	362	47	40	38	25	22	24	12	28	28
B	विशेष औरस्थानीय कानूनों के तहत महिलाओं के प्रति कुल अपराध	13650	13342	13611	13302	44634	54932	62687	60149	70607	79956
	अपराध शीर्ष	**309546**	**339457**	**329243**	**338954**	**359849**	**378236**	**405326**	**371503**	**428278**	**445256**